उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-123/2015/1249जेएल/22-3-15-300(36)/2014

लखनऊ: दिनांक: 08 मई, 2015

<u>वारण्ट</u>

मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी में मानसिक उपचार हेतु भर्ती केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के सिद्धदोष बंदी छोटेलाल पुत्र श्री प्यारेलाल यादव को विजिटर्स बोर्ड की दिनांक 20-01-2015 को सम्पन्न हुई बैठक में मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-518 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(2) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे केन्द्रीय कारागार, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाय।

आर0के0 द्विवेदी
उप सचिव।

<u>संख्या-123/2015/1249जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-14224/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/1/2013, दिनांक 21-04-2015 के संदर्भ में।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in